न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–184/19

1 गजेन्द्र कुमार आयु 20 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
2 अंकित आयु 18 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.

(वादीगण)

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
2 कविता पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
3 बृजेश पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
4 नीलू पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
5 हर्षिता पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.
6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. अन्ता जिला बारां राज. ।

(प्रतिवादीगण)

उपस्थित वकील :– श्री भगवान प्रसाद दाधीच (वादी)
श्री पुनित कुमार नन्दवाना (प्रतिवादी)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–16.08.2019

प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर वाद अन्तर्गत धारा अन्तर्गत 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ग्राम खजूरनाकलां तहसील अन्ता में खाता स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि स्थित है तथा ग्राम बमूलिया माताजी तह. अन्ता में खाता सं. 315 में खसरा न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि स्थित है। उक्त आराजियात को इस वादपत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी क्रम 1 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 का ग्राम खजूरनाकलां में खाता सं. 224 किता 4.20 हे. भूमि में हिस्सा 17/20 दर्ज है तथा ग्राम बमूलिया माताजी में खा.सं. 326 ख.न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि खाते दर्ज है। यह कि वादिगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 प्रतिवादी क्रम 1 के जायज पुत्र/पुत्रियां है उक्त भूमि पुश्तैनी है जो प्रतिवादी क्रम 1 विरासत

में प्राप्त हुई है वादिगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 का प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में जन्मतः हक अधिकार नियत है। यह की पक्षकारों का सजरा निम्नानुसार है :–

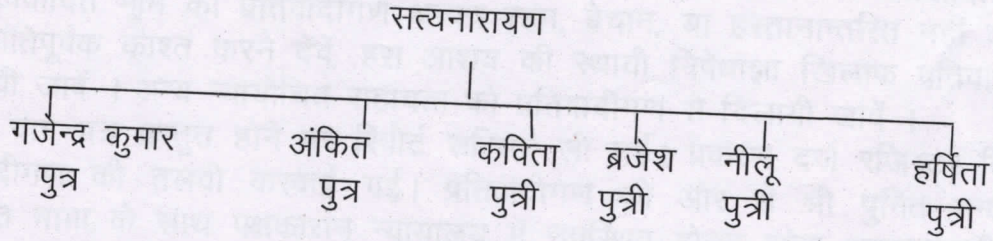

उक्त विवादित आराजियात प्रतिवादी कम 1 के नाम खाते दर्ज होने से वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर विकास कार्य करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने मे परेशानी होती है प्रतिवादी कम 1 की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी 2 ता 5 का हक अधिकार निहित होने से प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 बनता है प्रतिवादी कम 2 ता 5 अपने हिस्से कि भूमि 1/7–1/7 प्रत्येक अपने पिता सत्यनारायण एवं भाई गजेन्द्र कुमार एवं अंकित के नाम मौखित रूप से कर दिया है जिससे वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के नाम खाते दर्ज रहेगी। उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी कम 1 की भूमि मे से वादी कम 1 को ग्राम बमूलिया माताजी की खसरा नं. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि तथा वादि कम 2 को ग्राम खजूरनाकलां की आराजी खाता सं. 224 खं.नं. 83 रकबा 1.32 हे. ख.नं. 149 रकबा 0.20 हे. ख.नं. 868 रकबा 1.62 हे., ख.नं. 898 रकबा 1.06 हे. किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि मे प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 17/20 का 2/5 अर्थात सम्पूर्ण खाते का 17/50 हिस्से पर वादी कम 2 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं शेष बची समस्त आराजी मे प्रतिवादी कम 1 हिस्सा दर्ज किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज बैंक का ऋणभार का नोट यथावत रखा जावें। वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की दखलादांजी नही करें तथा विवादित भूमि को प्रतिवादिगण अन्यत्र रहन, बेचान, या हस्तानान्तरित नही करें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादिगण जारी फरमायी जावें। वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बारां को धारा 80 सीपीसी का नाटिस दिये बगैर यह वदपत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र 80(2) सीपीसी के प्रावधानों के तहत पेश किया गया है। वाद को सुनने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वादपत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिगण स्वीकार कर इस आशय की सादिर डिक्री एवं निर्णय पारित फरमाया जावें कि ग्राम खजूरना कलां तहसील अन्ता खाता स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि तथा ग्राम बमूलिया माताजी की वादी कम 1 को खसरा न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि तथा वादी कम 2 को ग्राम खजूरना कलां की आराजी खाता सं. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि में प्रतिवाद कम 1 का हिस्सा 17/20 का 2/5 अर्थात अर्थात सम्पूर्ण खाते 17/50 हिस्से पर वादी कम 2 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं शेष बची समस्त अराजी में प्रतिवाद कम 1 के

हिस्से दर्ज किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज का ऋणभार का नोट यथावत रखा जावें। वादीगण खिलाफ प्रतिवादिगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण, वादिगण के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार की दखलांदाजी नही करें तथा विवादित भूमि को प्रतिवादीगण अन्यत्र रहन, बेचान, या हस्तानान्तरित नहीं करें वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमायी जावें । अन्य न्यायोचित सहायता को प्रतिवादीगण से दिलायी जावें ।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री पुनित नन्दवाना द्वारा वकालत नामा के साथ पक्षकारान न्यायालय में उपस्थित होकर लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सीधा राजीनामा पेश किया राजीनामानुसार ग्राम खजूरनाकलां तहसील अन्ता में खाता स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि स्थित है, तथा ग्राम बमूलिया माताजी तह. अन्ता में खाता सं. 315 में खसरा न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 17/20 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। यह कि वादिगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 5 प्रतिवादी कम 1 के जायज़ पुत्र /पुत्रियां है उक्त भूमि पुश्तैनी है जो प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में जन्मतः हक अधिकार नियत है। उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि मे वादिगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 5 हक अधिकार निहित होने से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 रहेगा, प्रतिवादी कम 2 ता 5 अपने हिस्से कि भूमि का हकत्याग अपने पिता सत्यनारायण एवं भाई गजेन्द्र कुमार व अंकित के पक्ष में हकत्याग करती है। प्रतिवादी कम 2 ता 5 अपने हिस्से कि भूमि परित्याग करने के पश्चात उक्त विवादित आराजियात में प्रतिवादी कम 1 की भूमि मे से वादी कम 1 को ग्राम बमूलिया माताजी की खसरा नं. 813/969 रकबा 41.04 हे. भूमि तथा वादि कम 2 को ग्राम खजूरना कलां की आराजी खाता सं. 224 खसरा नं. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि तथा वादि कम 2 को ग्राम खजूरना कंला की आराजी खाता सं. स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि प्रतिवादि का हिस्सा 17/20 का 2/5 अर्थात सम्पूर्ण खाते का 17/50 हिस्से पर वादी कम 2 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं शेष बची समस्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से दर्ज किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज बैंक का ऋणभार का नोट यथावत रखा जावे। उक्त राजीनाम वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ने आपसी सहमती से बिना किसी दाब दबाव के , अपनी स्वैच्छा से पूर्ण सोच विचार करके किया है जिससें दोनो पक्ष पूर्ण सोच विचार करके किया है जिसमें दोनो पक्ष पूर्णरूप से सहमत है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र निर्णय एवं डिक्री पारित फरमाया जावे।

राजीनामा प्रस्तुत होने पर पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर स्वयं के द्वारा लिखवाया जाना स्वीकार किया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा स्वीकार किये जाने पर बाद तस्दीक स्वीकार कर शामिल फाईल किया गया। वादी

की पहचान श्री भगवान दाधीच अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहचान श्री पुनित नन्दवान द्वारा की गई।

हमने आद्योपान्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया। राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाता है कि ग्राम खजूरनाकलां तहसील अन्ता में खाता स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि स्थित है, तथा ग्राम बमूलिया माताजी तह. अन्ता में खाता सं. 315 में खसरा न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि प्रतिवादी कम 1 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है एवं प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 17/20 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से वादिगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 5 प्रतिवादी कम 1 के जायज पुत्र /पुत्रियां है उक्त भूमि पुश्तैनी है जो प्रतिवादी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में जन्मतः हक अधिकार नियत है। उक्त आराजी में प्रतिवादी कम 1 के खाते की भूमि मे वादिगण एवं प्रतिवादी कम 2 ता 5 हक अधिकार निहित होने से वादीगण एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 रहेगा, प्रतिवादी कम 2 ता 5 अपने हिस्से कि भूमि का हकत्याग अपने पिता सत्यनारायण एवं भाई गजेन्द्र कुमार व अंकित के पक्ष में हकत्याग करने सें प्रतिवादी कम 1 की भूमि मे से **वादी कम 1** को ग्राम बमूलिया माताजी की खसरा नं. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि तथा **वादि कम 2** को ग्राम खजूरना कलां की आराजी खाता सं. 224 खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि में से प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा 17/20 का 2/5 अर्थात सम्पूर्ण खाते का 17/50 हिस्से पर वादी कम 2 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष बजी भूमि प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में प्रतिवादी कम 1 के हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामानुसार अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय हमारे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक **16.08.2019** को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(औ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अन्ता जिला बारा बइजलास

पीठासीन अधिकारी श्री जनक सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–184/19

1 गजेन्द्र कुमार आयु 20 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.

2 अंकित आयु 18 वर्ष पुत्र श्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज. (वादीगण)

बनाम

1 सत्यनारायण पुत्र भैरूलाल जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां

2 कविता पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां

3 बृजेश पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.

4 नीलू पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां राज.

5 हर्षिता पुत्री सत्यनारायण जाति धाकड़ निवासी खजूरनाकलां तहसील अन्ता जिला बारां

6 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सा. अन्ता जिला बारां राज. । (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 आर0 टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक :–16.08.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसा कतई रूबरू **श्री भगवान प्रसाद दाधीच** एडवाकेट हाजरी मिनजानिब मुददई रूबरू **श्री पुनित कुमार नन्दवाना** पेश हो कर हुक्म दिया जाता है ग्राम खजूरनाकलां तहसील अन्ता में खाता स. 224 में खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि स्थित है, तथा ग्राम बमूलिया माताजी तह. अन्ता में खाता सं. 315 में खसरा न. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है एवं प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 17/20 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने से वादिगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 प्रतिवादी क्रम 1 के जायज पुत्र /पुत्रियां है उक्त भूमि पुश्तैनी है जो प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में जन्मतः हक अधिकार नियत है। उक्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के खाते की भूमि मे वादिगण एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 हक अधिकार निहित होने से वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का प्रत्येक का हिस्सा 1/7–1/7 रहेगा, प्रतिवादी क्रम 2 ता 5 अपने हिस्से कि भूमि का हकत्याग अपने पिता सत्यनारायण एवं भाई गजेन्द्र कुमार व अंकित के पक्ष में हकत्याग करने सें प्रतिवादी क्रम 1 की भूमि मे से **वादी क्रम 1** को ग्राम बमूलिया माताजी की खसरा नं. 813/969 रकबा 1.04 हे. भूमि तथा **वादि क्रम 2** को ग्राम खजूरना कलां की आराजी खाता सं. 224 खं. नं. 83 रकबा 1.32 हे.,खं. नं. 149 रकबा 0.20 हे., खं. नं. 868 रकबा 1.62 हे., खं. नं. 898 रकबा 1.06 हे., किता 4 रकबा 4.20 हे. भूमि में से प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 17/20 का 2/5 अर्थात सम्पूर्ण खाते का 17/50 हिस्से पर वादी क्रम 2 को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं शेष बजी भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से में प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। राजीनामानुसार अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार अन्ता को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में वर्णित भूमि पर समस्त प्रकार के भार/ऋण (रहन) यदि कोई होतो यथावत दर्ज किया जावे एवं आवश्यक हो तो नियमानुसार हकतर्क स्टाम्प डयूटी जमा करवाई जाकर निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

उपखण्ड अधिकारी
अन्ता